कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

निर्वाचन सदन, 17–अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स– 0755– 2555162

E-Mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

---

फा.क्र. /निर्वा.व्यय/2019/1417 भोपाल, दिनांक 31 /01/2019

लोकसभा निर्वाचन - 2019 के अंतर्गत निर्वाचन व्यय निगरानी में पूर्व निर्वाचनों से संबंधित आयकर विभाग की बैठक दिनांक 28/01/2019 का कार्यवाही विवरण

लोकसभा निर्वाचन - 2019 के अंतर्गत निर्वाचन व्यय निगरानी में पूर्व निर्वाचनों से संबंधित लंबित प्रकरणो के संबंध में आयकर विभाग की बैठक दिनांक 28/01/2019 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ताराव द्वारा ली गई, जिसमें उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट - ए)।

आयकर विभाग की ओर से उपस्थित श्री प्रशांत मिश्रा, संयुक्त आयकर निदेशक (अन्वेषण) एवं नोडल अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2013 के दौरान जब्ती प्रकरणों के वर्तमान प्रगति की जानकारी दी गई, श्री मिश्रा द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2013 के दौरान आयकर विभाग द्वारा कुल 19 प्रकरणों में राशि 564.69 लाख मूल्य की नगद राशि एवं आभूषण जब्त किए गए थे, जिसमें राशि 493.8 लाख नगद तथा राशि 70.89 लाख मूल्य के आभूषण शामिल थे। इन 19 प्रकरणों में से 16 प्रकरणों, जिसमें राशि 475.69 लाख मूल्य के प्रकरण शामिल हैं, कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। इन 16 प्रकरणों में से 3 प्रकरणों में राशि 87.46 लाख रूपये आरोपियों द्वारा स्वेच्छिक रूप से अघोषित आय स्वीकार की है, शेष 13 प्रकरणों में जिसमें राशि 388.23 लाख रूपये शामिल है में से जांच उपरांत 5 प्रकरण जिनमें राशि 209.53 लाख रूपये अघोषित आय मानी जाकर अतिरिक्त आय के रूप में जोडी गई है। 01 प्रकरण में राशि 35 हजार रूपये दण्ड आरोपित किया गया है। सभी प्रकरणों में आई.टी.ए.टी. अथवा सी.आई.टी. (ए) के समक्ष अपील प्रचलित है।

लोकसभा निर्वाचन - 2014 के दौरान मध्यप्रदेश में आयकर विभाग द्वारा कुल 6 प्रकरणों में राशि 368.63 लाख मूल्य की नगद राशि एवं आभूषण जब्त किए गए थे। जिसमें राशि 163.04 लाख रूपये नगद तथा राशि 205.59 लाख मूल्य के आभूषण शामिल हैं। सभी 6 प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है इन 6 प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में आरोपी द्वारा राशि 36.14 लाख रूपये की अघोषित आय स्वेच्छिक रूप से स्वीकार की गई है इनमें से 5 प्रकरणों में जिसमें राशि 322.49 लाख रूपये मूल्य के प्रकरण शामिल हैं, 4 प्रकरणों में राशि 332.57 लाख रूपये अघोषित आय के रूप में माने जाकर अतिरिक्त आय के रूप में जोडे गए हैं। 01 प्रकरण में राशि 79.01 लाख रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। सभी प्रकरणों में आई.टी.ए.टी. अथवा सी.आई.टी. (ए) के समक्ष अपील प्रचलित है।

विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान आयकर विभाग को 75 प्रकरण राशि 32.68 करोड़ के प्रकरण प्राप्त हुए। जिसमें राशि 20.67 करोड रूपये नगद तथा राशि 12.00 करोड़ रूपये मूल्य के आभूषण शामिल हैं। इनमें से 29 प्रकरण जिसमें राशि 8.31 करोड़ रूपये नगद तथा 11 प्रकरण जिसमें राशि 6.40 करोड़ मूल्य के आभूषण शामिल हैं आयकर विभाग द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गई। आयकर विभाग को प्राप्त कुल 75 प्रकरणों में से 40 प्रकरणों में जब्त की गई राशि को छोड दिया गया है, 01 प्रकरण में धारा 132 (ए) के अंतर्गत अपील प्रचलित है, जिसमें न्यायालय से स्थगन है। शेष 34 प्रकरणों में से 20 प्रकरणों में जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, 14 प्रकरणों में जांच की कार्यवाही प्रचलित है।

आयकर विभाग द्वारा जिन प्रकरणों में स्वप्रेरणा से कार्यवाही की गई उनमें इन्दौर, जबलपुर एवं मुरैना के एक-एक प्रकरण शामिल हैं, इन प्रकरणों में कुल राशि 1.48 करोड़ राशि अनुमानित है, इन सभी प्रकरणों में सितम्बर 2021 तक कार्यवाही पूर्ण हो जावेगी।

आगामी लोकसभा निर्वाचन - 2019 की तैयारियों की जानकारी देते हुए श्री मिश्रा द्वारा बताया गया कि आयकर विभाग द्वारा निगरानी हेतु त्रिस्तरीय टीम

बनाई गई है, जिसमें प्रथम स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है, द्वितीय स्तर पर 09 उप नोडल अधिकारी तथा तृतीय स्तर पर सभी 51 जिलों में अधिकारी बनाए जाएगें। प्रदेश में नगद अथवा बहुमूल्य धातुओं के आवागमन के संबंध में अधिकारियों तथा तंत्र को निर्बाध सूचना मिलती रहे इस हेतु राजधानी भोपाल में नोटीफिकेशन दिनांक से 24x7 घण्टे कार्य करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इस हेतु भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खजुराहो तथा जबलपुर में एयर इंटेलीजेंस टीम (ए.आई.यू.) बनाई जा रही हैं। जिला स्तरीय टीम को प्रमुख निदेशक, आयकर विभाग (अन्वेषण) द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। वर्तमान में आयकर विभाग को सूचना देने हेतु 1800233039 टोल फ्री नम्बर उपलब्ध है।

आयकर विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि विभाग को जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा बैंक के माध्यम से संदेहास्पद अंतरणों की जानकारी निर्वाचन की घोषणा के पूर्व भी उपलब्ध कराई जावे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्वाचन के दौरान व्यय की वीडियो कॉफ्रेंस में एक स्लॉट आयकर विभाग को दिया जाएगा, जिसमें आयकर विभाग का प्रजेन्टेशन होगा जिससे विभिन्न विभागों तथा ऐजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित हो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि वर्ष 2013, 2014 एवं 2018 के दौरान दर्ज किए गए प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(राजेश कौल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

फा.क्र. /निर्वा.व्यय/2019/1418 भोपाल, दिनांक 31 /01/2019

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश समस्त की ओर सूचनार्थ।
4. निज सचिव, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, समस्त, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन, अधिकारी, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। जिलों में भी एन्फोंसमेन्ट एजेंसियों की बैठक बुलाकर निर्वाचन व्यय निगरानी संबंधी कार्यवाहियां सुनिश्चित करें।
7. श्री..नोडल अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. प्रभारी स्टोर शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. गार्ड फाईल हेतु।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

लोकसभा निर्वाचन - 2019 निर्वाचन व्यय निगरानी के अंतर्गत पूर्व निर्वाचनों से संबंधित आयकर विभाग की बैठक दिनांक 28/01/2019 में उपस्थित अधिकारियों की सूची (परिशिष्ट - ए)

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	**श्री राजेश कौल**	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।
2.	**श्री पतंजलि झा**	प्रधान आयकर निदेशक (अन्वेषण), आयकर भवन, भोपाल।
3.	**श्री चंचल शेखर**	आई.जी. एवं पुलिस नोडल अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
4.	**श्री प्रशांत मिश्रा**	संयुक्त आयकर निदेशक (अन्वेषण) एवं नोडल अधिकारी, आयकर भवन, होशंगावाद रोड भोपाल।
5.	**श्री एस के नागर**	सहायक महाप्रबंधक एवं नोडल अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भोपाल।
6.	**श्री राजेश श्रीवास्तव**	उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।